कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT, GHANSALI,
HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR

P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- http://pwd.uk.gov.in

Phone and Fax No. 01379-258327
E-Mail :-eepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :– 1050/10 एम0जी0 दिनांक–27/08/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी, टिहरी गढवाल।

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल में चमियाला–इन्द्रवांणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.697 हे0 आरक्षित एवं सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन पत्रावली संख्या–FP/UK/ROAD/10467/2015)

सन्दर्भ :– भारत सरकार/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी0/यू0सी0पी0/06/58/2015/एफ0सी0, दिनांक–28.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–2187/10एम0जी0, दिनांक–09.12.2015 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को पूर्व में ही प्रेषित कर दी गई थी। उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा पुनः बिन्दुवार पुनरीक्षित अनुपालन आख्या हेतु पृच्छा की गई है जिसके क्रम में बिन्दुवार पुनरीक्षित अनुपालन आख्या पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्या–1 शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावित 9.394 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0–14,77,676.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0–30,85,929.00 कुल धनराशि 45,63,605.00 मात्र प्रतिपूरक वृक्षारोपण फन्ड़ (CAF) उत्तरांचल के पक्ष में कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली, लोदी काम्पलैक्स के खाता सं0–037100101025229 में आर0टी0जी0एस0 के द्वारा ई–चेक के माध्यम से दिनांक–17.10.2015 को जमा करा दिये गये हैं। पुनः क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु बढ़ी हुयी शेष धनराशि रू0–4,89,108.00 मात्र प्रतिपूरक वृक्षारोपण फन्ड़ (CAF) उत्तरांचल के पक्ष में कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली, लोदी काम्पलैक्स के खाता सं0–037100101025229 में आर0टी0जी0एस0 के द्वारा ई–चेक के माध्यम से दिनांक–08.12.2015 को जमा करा दिये गये हैं। उक्त 9.394 हे0 आरक्षित एवं सिविल वन भूमि के वन विभाग को हस्तान्तरण हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र सं0–144/XXVI–28(2014–15) दिनांक नई टिहरी अक्टूबर, 15 2015 द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है। (हस्तान्तरण आदेश की छायाप्रति संलग्न)

बिन्दु संख्या–2 शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0–6.57 लाख प्रति हे0 की दर से जमा करायी गई है।

बिन्दु संख्या–3 शर्त संख्या–3 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य में हुई बढोतरी रू0–16,35,542.00 का चालान कैम्पा उत्तरांचल के पक्ष में एस0बी0आई0 घनसाली के आनलाईन ट्रांजैक्शन सं0–A352150 द्वारा दिनांक–18.03.2025 को जमा करा दी गई है।(संलग्न चालान की छायाप्रति), इस आशय की वचनबद्धता प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में ही प्रस्तुत कर दी गई है।

बिन्दु संख्या–4 शर्त सं0–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ बैंक खाता सं0–037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोदी रोड़ नई दिल्ली के पक्ष में जमा करायी गई है। उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–2024/10एम0जी0, दिनांक–05.11.2015 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को पूर्व में ही प्रेषित कर दी गई है।

बिन्दु संख्या–5 शर्त सं0–5 के सापेक्ष प्रमाणित किया जाता है कि जहां सम्भव होगा मोटर मार्ग के दोनों किनारों तथा Central Verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

भारत सरकार **की उक्त सन्दर्भित पत्र के फेज संख्या–2 में दी गई शर्तों के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता** है कि–

1. वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2. एन0पी0वी0 की दरों में हुई बढोतरी रू0–16,35,542.00 का चालान कैम्पा उत्तरांचल के पक्ष में एस0बी0आई0 घनसाली के आनलाईन ट्रांजैक्शन सं0–A352150 द्वारा दिनांक–18.03.2025 को जमा करा दी गई है।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.394 सिविल एवं सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित की जा चुकी है एवं वनविभाग को 6 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वन घोषित करने हेतु रू0–14,77,676.00 मात्र रूपये वन विभाग के पक्ष में जमा किये जा चुके हैं।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों एवं स्टाफ के लिये लेवर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों को रसोई गैस/केरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौराना आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 283 से अधिक नहीं होगी।
9. प्रयोक्ता विभाग द्वारा वनविभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC पिल्लर लगा कर सीमांकन किया जायेगा, जिस पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा कहीं नही फेंका जायेगा।
11. सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर वर्तमान में लागू नहीं होते हैं, भविष्य में आवश्कतानुसार अनुमति ले ली जायेगी।
12. सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन किया जायेगा।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में।

27/8/25

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

Anoop

पत्रांक 1050/10एफजी0

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

01. अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
02. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
03. अधीक्षण अभियन्ता, 8वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।
04. सहायक अभियन्ता, अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली, मु0–घुमेटीधार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c

27/8/25

अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0, लो0नि0वि0,घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

Anoop